न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—121/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/121

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर		कुईयाराम पुत्र तुलसाराम जाति सरगरा निवासी देसू, तहसील आहोर जिला जालोर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण</u>

<u>संख्या 27/2020</u>

उपस्थिति :—

1. सरकारी पैरोकार अनु.।
2. श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 30/8/24

1- पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 27/2020 में निर्णय दिनांक 30.12.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2- यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3- बहस वकील रेस्पोडेण्ट की सुनी गई।

4- अपीलार्थी सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर अनुपस्थित।

5- प्रस्तुत अपील के तथ्य निम्नप्रकार है—

6- रेस्पोन्डेन्ट कुईयाराम स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.07.2020 को रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय किया गया। इस कारण उसे दिनांक 02.07.2020 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं था। स्वयं कुईयाराम द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित लिखित कथनों के विरूद्ध उसका कोई जबानी कथन मानने [illegible] था।

स्वयं रेस्पोन्डेन्ट कुईयाराम ने तहसी[illegible] के समक्ष अपने हल्फीया बयान दर्ज कराये थे, जिसमें उसने इस कथन [illegible] कि उसके द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] के साथ बेचाननामा की अपूर्ण प्रति पेश की गई। इस प्रकार [illegible] नामान्तरकरण संख्या 2[illegible] स्वीकार किया गया तो वह अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया गया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:26 IST
Reason: SelfAttested

30/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि म्यूटेशन के आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में यानि जमाबंदी में भी इन्द्राज हो चुका।

रेस्पोडेण्ट के द्वारा एक वाद माननीय सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में पेश कर अन्य सह–खातेदारों के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट के कब्जे में दखलअंदाजी नहीं करने को लेकर पेश किया गया जिस पर सहायक कलेक्टर महोदय जालोर ने दिनांक 02.07.2020 को रेकर्ड व मौका का स्थगन आदेश जारी किया।

रेस्पो. को किसी ने अखबार की खबर बतायी कि तहसीलदार वगैराह के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ हैं। रेस्पो. ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हैं। केवल साक्षर है तब रेस्पो. के द्वारा पूर्ण पता करने पर उसे बताया गया कि खसरा नंबर 1966 के म्यूटेशन के लेकर मुकदमा दर्ज किया गया।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मुझ रेस्पो. को पटवारी ओमप्रकाश ने टेलीफोन ने यह कह कर तहसील कार्यालय जालोर में दिनांक 02. 07.2020 को बुलवाया कि ऑन लाईन म्यूटेशन भरने के लिये हस्ताक्षर की आवश्यकता है इसलिये तहसील कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक रूस्तमखां खोखर से आकर मिलने का कहा तथा रेस्पो. अपीलाण्ट के कहे अनुसार करीबन 5 बजे तहसील कार्यालय जालोर पहुंचा तो वहां पर पटवारी, वरिष्ठ लिपिक रूस्तमखां खोखर व अपीलाण्ट हाजिर थे।

पटवारी हल्का जालोर ने रेस्पो. के समक्ष तीन चार कागज हस्ताक्षर हेतु रखे तथा मुझे कहा कि हस्ताक्षर करो तथा मुझे विश्वास में लेकर चंद टाईपशुदा कागजों पर हस्ताक्षर करवायें।

रेस्पो. खसरा नंबर 1966 की एक और जमाबंदी की आवश्यकता होने पर ऑनलाईन प्राप्त करना चाहा तो जमाबंदी ऑनलाईन थी लेकिन उसमें रेस्पो. का नाम नहीं था जिस पर रेस्पो. को शक हुआ तो दिनांक 06.07.2020 को नामान्तरणकरण की नकल मांगने पर रेस्पो. को बताया गया कि म्यूटेशन निरस्त कर दिया गया जिस पर आदेश की नकल भी मांगी।

म्यूटेशन निरस्त करने के आदेश को देखने से उसमें बेचान दस्तावेज पर इकरारनामा होने के नोट को छुपाकर बेचान दस्तावेज पेश करना बताया ने अपने बचाव हेतु बेचान दस्तावेज की पुनः फोटो काफी लाईन हटाते हुये रेकर्ड में डाली हैं तो उसके लिये रेस्पो. जिम्मेवार नहीं हैं तथापि बेचान दस्तावेज पर नोट इकरारनामा होने की आपत्ति का लगा हुआ होने के बावजूद भी बेचान दस्तावेज को प्रभावित नहीं करता हैं। क्योंकि जिसके हक में इकरारनामा हैं तो उसे नियमानुसार सिविल न्यायालय में कार्यवाही [illegible] हैं। बेचान दस्तावेज पर नोट को लेकर म्यूटेशन भरने [illegible] कोई आपत्ति [illegible] थी तथा म्यूटेशन 2439 दिनांक 26.05.2020 कानूनन सही भरा हुआ था। और बेचान दस्तावेज पर नोट की जानकारी म्यूटेशन भरने के समय पटवारी हल्का को भी थी।

6/w

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त त्रुटि पत्रावली के मुख पृष्ठ पर विद्यमान थी, जो रेस्पोन्डेन्ट कुईयाराम द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत बेचाननामा की वास्तविक नकल के अवलोकन से स्पष्ठ था कि वास्तव में मूल बेचाननामा पर नियम 39 पंजीयन अधिनियम का नोट अंकित था। जो रिव्यू हेतु एक मजबूत आधार था। अपर जिला कलक्टर, जालोर ने रिव्यू सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझें बिना अपील का फैसला कर दिया।

स्वयं अपर जिला कलक्टर जालोर ने अपील को निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार जालोर से सम्बन्धित पत्रावली तलब ही नहीं की जबकि ऐसा किया जाना लाजमी था। तहसीलदार की पत्रावली तलब किये बिना अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के अपर जिला कलक्टर जालोर को कोई अधिकार नही थे, क्योंकि धारा 80 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान आदेशात्मक है एवं बिना विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब किये, अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया ही नही जा सकता।

अपर जिला कलक्टर जालोर के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट कुईयाराम द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र में वर्णित अपील कथनों पर कोई निर्णय देने में वह न्यायालय सक्षम ही नहीं था क्योंकि अपील पत्र में तहसीलदार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर की गई तमाम कार्यवाही को कपटपूर्ण तरीके से करना बताया गया एवं पूरी कार्यवाही पर उसने प्रश्नचिन्ह लगा दिया। जबकि कपट संबंधी बिन्दू पर निर्णय करने में केवल दीवानी न्यायालय ही सक्षम है एवं जहां न्यायालय की आज्ञा सूची एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रश्न, अपील न्यायालय में उठाया जावे तो उसकी जांच अपील न्यायालय नहीं कर सकता बल्कि व्यथित पक्षकार को मूल न्यायालय में ही इस बारे में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए।

धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रत्येक राजस्व न्यायालय को स्वप्रेरणा से अथवा पीड़ित पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर रिव्यू करने के अधिकार है वर्तमान मामले में ऐसा ही किया गया। जब स्वयं रेस्पोन्डेन्ट कुईयाराम ने प्रार्थना पत्र पेश कर उसके द्वारा की गई त्रुटि को न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में तहसीलदार के पास उस रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नही था एवं रिव्यू करने के पश्चात् स्वयं रेस्पोन्डेन्ट सक्षम न्यायालय में अपने तथाकथित बेचान के आधार पर कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र था।

अपर जिला कलक्टर जालोर ने तहसीलदार जालोर की रिव्यू संबंधित पत्रावली को तलब किये बिना ही तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को गैरकानूनी मान लिया। जबकि मूल पत्रावली को देखे बिना कोई राय व्यक्त की ही नही जा सकती।

7- रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि [illegible] ए" में वर्तमान खसरा नबर 1966 जिसमें से 1/10 हिस्सा अपीलांट [illegible] दस्तावेज के खरीद किया तथा बेचान [illegible] को नियमानुसार [illegible] भरने हेतु पटवारी हल्का को पेश किया तथा बाद जांच पटवारी ने [illegible] स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार जालोर यानि प्रार्थी के समक्ष पेश किया [illegible] दिनांक 26.05.2020 को म्यूटेशन स्वीकृत किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी मुझ रेस्पोडेण्ट के पास हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पो. साक्षर हैं उसे कानून की जानकारी नहीं है न ही रेस्पो. कानून की भाषा में लिख सकता हैं तथा रेस्पो. ने म्यूटेशन संख्या 2439 निरस्त करने का आवेदन पेश नहीं किया तथा तहसीलदार के द्वारा रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत करना बताया जा रहा कथित प्रार्थना पत्र के तमाम कथन अस्वीकार है। रेस्पो. क्योकर आवेदन पेश करेगा जब उसके हक में म्यूटेशन हो चुका था लेकिन तहसीलदार, व.लि. रूस्तमखा खोखर, व पटवारी ने षडयंत्रपूर्वक रेस्पो. के जाने पूर्व से तैयार कागज टाईप करवाकर रखे थे और रेस्पो. को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाये और गलत रूप से रेस्पो. के हक में भरा गया म्यूटेशन निरस्त किया।

तहसीलदार ने अपने आदेश में रेस्पो. की तरफ से म्यूटेशन संख्या 2439 को रिव्यु कर निरस्त करने का आवेदन पत्र पेश करना बताया जो प्रथमदृष्टया ही गलत हैं। अपीलांट के द्वारा उसकी जानकारी में ऐसा कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया तथा अपीलाण्ट ने रिव्यु करना बताया प्रथम तौर पर तहसीलदार जालोर को स्वयं के आदेश को रिव्यु करने का अधिकार नहीं है। तथा कानून के तहत् रिव्यु में पारित आदेश को नही बदला जा सकता है। बल्कि कोई भी आदेश गलत होता है तो उसके विरूद्ध अपील निगरानी का प्रावधान हैं। यदि अपीलाण्ट अपने आदेश को गलत मानता हैं तो उसके विरूद्ध स्वयं को अपील करनी चाहिये थी। बल्कि अपीलाण्ट स्वयं के आदेश को नहीं बदल सकता हैं। रेस्पो. ने इसकी जानकारी में म्यूटेशन निरस्त करने की सहमति नहीं दी बल्कि यदि अपीलाण्ट ने खुद के द्वारा टाईप करवाये गये दस्तावेजों में गलत इबारत लिखते हुये धोखे से रेस्पो. के हस्ताक्षर करवाये हैं जिससे रेस्पो. पाबंद नहीं हैं। अपीलाण्ट ने रेस्पो. के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक दस्तावेज बनाकर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 2439 दिनांक 02.07.2020 को निरस्त करने का आदेश पारित किया हैं वह निरस्त करने योग्य हैं तथा जिसके आधार पर म्यूटेशन खारिज किया है व इन्द्राज भी निरस्त करने योग्य हैं। यहां यह लिखना उचित हैं कि पटवारी षड़यंत्र में शामिल होने से उक्त म्यूटेशन को दिनांक 02.07.2020 को निरस्त कर दिया।

रेस्पो. को आदेश व म्यूटेशन के इन्द्राज की जानकारी हुई तथा उक्त भुमि के संबंध में वाद पत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही विचाराधीन रहते गलत कार्यवाही कर तथा सही तथ्यों को छिपाकर म्युटेशन निरस्ति की प्रक्रिया की गई है. जिससे रेस्पो. के विधिक हक प्रतिकुल रूप से प्रभावी हो रहे है.।

8- हमने उपस्थित रेस्पोडेण्ट_के विद्वान अधिवक्ता एवं तहसीलदार जालोर द्वारा पेश अपील का अवलोकन एवं बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार जालोर के आदेश कमांक/भू.अ. /2020/2112 दिनांक 2.7.2020 व उक्त आदेश की पालना में भरे गये मौजा जालोर के म्यूटेशन नम्बर 2439 दिनांक 2.7.2020 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अपीलाधीन आदेश [illegible] 30.12.2022 से निरस्त किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible]रित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित आदेश [illegible] होता है।

9- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील[illegible]न्ट खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

27/2020 दिनांक 30.12.2022 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार जालोर को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 30-12-2022 की पालना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner